तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 12/2025 (2025/50)

अनवान सम्पत दास बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

17-12-25 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी सम्पत दास पुत्र लिछमणराम जाति साद निवासी ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम चावड़ो की ढाणी तहसील लूणी के खसरा संख्या 472 की कुल रकबा 5.6251 हैक्टेयर आयी हुई है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सम्पत दास है लेकिन उक्त खसरे की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश चम्पादास दर्ज हो गया जो कि चम्पादास एवं सम्पतदास एक ही नाम का व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम चम्पादास के स्थान पर सम्पत दास किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/2924 दिनांक 19.09.2025 ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि खसरा नम्बर 472 में ग्राम नन्दवान के जमाबंदी रेकर्ड सम्वत 2031–2034 में खाता सं. 283 पर लिछमण पुत्र बस्तीराम साद खातेदार दर्ज है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 554 के द्वारा लिछमणराम पुत्र बस्तीराम साद के फौत होने से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरकरण अनुसार जमाबंदी सम्वत 2039–2042 में खाता सं. 122 पर ढगलदास, किशनदास, चम्पादास पि. लिछमणदास नाबालिग की वली मु. तीजी बेवा लिछमणदास साद सा.देह खातेदार अमल दरामद हुआ। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2068–71 में उक्त खसरा के खातेदारी द्वारा पंजीबद्व बैचाननामे क्रमशः 2011004963 दिनांक 23.06.2011 के जरिये बैचान किया जिसका ग्राम चावड़ो की ढाणी के नामा. सं. 199 के द्वारा मूल खसरा नं. 472 रकबा 58.15 बीघा मे से नया खसरा नं. 472/1 रकबा 24 बीघा खेताराम/धीराराम जाति सुथार सा. नंदवान खातेदार के नाम दर्ज हुआ। दोनो नाम के एक ही व्यक्ति होना बताया है।

उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, इत्यादि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम ग्राम चावड़ो की ढाणी तहसील लूणी के खसरा संख्या 472 की कुल रकबा 5.6251 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम चम्पादास के स्थान पर सम्पतदास उर्फ चम्पादास राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी